पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर-(2014-15) 784 / 1415111 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // जनवरी, 09 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(कारपोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- **Online कर निर्धारण हेतु Firm Address तथा Commodity name editable करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15/245/ वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415040) दिनॉक 30-06-2014 द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही दिनॉक 01-08-2014 से आनलाइन ही जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15 / 322 / वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415051) दिनॉक 22-07-2014 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न फील्ड कार्यालयों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय कर निर्धारण आदेशों को जनरेट करते समय व्यापार स्थल का पता तथा Commodity विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध न होने के कारण कर निर्धारण आदेश में अंकित नहीं हो पाता है, जिसके कारण सम्बन्धित field blank रह जाती है व mandatory field होने के कारण आदेश जनरेट नहीं हो पाता है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु Central Vyas में उपलब्ध TIN Backlog Entry Option के माध्यम से Firm Address तथा Commodity name को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Entry / Edit करने विषयक व्यवस्था साफ्टवेयर में विकसित कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अवधारित की जाती है :-

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने login ID से Vyas Central में Login किया जायेगा।

2- Registration Menu के Drop down में TIN Backlog Entry Option पर Click किया जायेगा।

3- TIN Backlog Entry Option पर click करने पर नई स्क्रीन पर enter TIN का option उपलब्ध होगा।

4- सम्बन्धित TIN को Submit करने पर फार्म-7 व CST Entry Option Editable mode में open होगा।

5- सम्बन्धित Column में जाकर Commodity, Business Place, Nature of business को Save किये जाने के पश्चात Finally Save किया जायेगा।

6- व्यास सेन्ट्रल में उपरोक्त प्रक्रिया को करने के उपरान्त आनलाइन कर निर्धारण आदेश जनरेट करने पर edit की गई fields स्वत: अंकित हो जायेंगी।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

08/01/15

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।